न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील संख्या 03/19 सन् 2019
आरसीएमएस संख्या 2019/00006

बउनवानीः—

1. रामफूल पुत्र रामनिवास रैगर निवासी दौंदरी,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. भूली पत्नि रामफूल रैगर निवासी दौंदरी तह0 व जिला सवाईमाधोपुर

बनाम

1. मंगली पत्नि कल्याण रैगर निवासी दौंदरी,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
2. कालू पुत्र कल्याण रैगर निवासी दौंदरी ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
3. जगदीश पुत्र कल्याण रैगर निवासी दौंदरी,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
4. सीता पुत्री कल्याण रैगर निवासी दौंदरी ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
5. सीमा पुत्री कल्याण रैगर निवासी दौंदरी ,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर
6. रामजीलाल पुत्र कल्याण रैगर आयु 17 वर्ष, निवासी दौंदरी,तह0 व जिला सवाईमाधोपुर नाबालिग जरिये संरक्षक माता मंगली देवी पत्नि कल्याण
7. सुनिता पुत्री कल्याण रैगर आयु 14 वर्ष, निवासी दौंदरी, तह0 व जिला सवाईमाधोपुर नाबालिग जरिये संरक्षक माता मंगली देवी पत्नि कल्याण
8. सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर

(अपील तहसीलदार सवाईमाधोपुर की पत्रावली संख्या 4/17 अन्तर्गत धारा 183 बी, मे पारित आदेश दिनांक 19.7.2018 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थितः— 1. श्री महेन्द्र वर्मा — वकील अपीलान्ट
2. श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — रेस्पोडेण्ट सं. 1—7

—: निर्णय :— **दिनांक 03.07.2019**

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा प्रकरण संख्या 4/17 अन्तर्गत धारा 183 बी, में पारित आदेश दिनांक 19.7.2018 के विरूद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरूद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि राजस्व ग्राम दौंदरी में स्थित खातेदारी आराजियात खाता संख्या 88 में दर्ज कुल रकबा 0.91 है0 मे से ख0न0 963/2467 रकबा 0.06 है0 भूमि को रेस्पो0 संख्या 1 के पति कल्याण ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.4.1997 को अपीलान्ट संख्या 1 रामफूल को 12500/—रू लेकर विक्रय कर उसकी लिखापढी की गयी थी तथा रेस्पो. की सहमति से वर्णित भूमि ख0न0 963/2467 रकबा 0.06 है0 भूमि को अपीलान्ट को कब्जा सुपुर्द किया गया था जिस पर दिनांक 15.4.1997 से आज दिन तक यथावत अपीलान्टस का कब्जा है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा मेहनत व धन लगाकर

डॉ0 एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वर्तमान में उक्त भूमि के कुछ भाग में पक्का मकान व कुछ कच्चा निर्माण एवं इसके कुछ भाग में अपनी मेवेशियों को बांधने व सामान रखने के लिए बाडा बना रखा है। जिसका उपयोग आज दिन तक करते चले आ रहे है। इस प्रकार अपीलान्ट विगत 21 वर्षो से ख0न0 963/2467 रकबा 0.06 है0 पर निवास करते चले आ रहे है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो एवं पत्रावली पर मौजूद सबूतो का बिना अवलोकन किये ही विधि के विपरीत उक्त निर्णय पारित किया कर दिया जो निरस्त होने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अदालत मातहत द्वारा विधिक बिन्दु पर गौर नही किया कि अपीलान्ट द्वारा 21 वर्ष पूर्व 12500/–रू अदा कर वर्णित ख0न मे दर्ज रकबा 0.06 है0 भूमि क्रय की गयी थी जिसका कलमी दस्तावेज पत्रावली पर मौजूद होने के बावजूद भी लिखित दस्तावेज को इगनोर कर भारी कानूनी भूल की गयी है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दुओं को नजर अंदाज कर बिना विधिक राय दिये अपीलान्ट रामफूल वगै. की तर्को को नजर अन्दाज कर गलत फैसला किया है। यह तर्क भी दिया विवादग्रस्त निर्णय का सर्वप्रथम इल्म् दिनांक 31.12.2018 को हल्का पटवारी द्वारा मौके पर जाकर निर्णय के बारे मे बताने पर प्राप्त होने पर तहसील कार्यालय पहुॅचकर नकल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया तथा दिनांक 7.1.2019 को नकल प्राप्त होने पर प्राप्त जानकारी से अन्दर मयाद मय दफा 5 के प्रार्थना पत्र के प्रस्तुत कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.8.2017 को खारिज फरमाये जाने बाबत वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

वकील रेस्पो. द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत है जिसमे किसी प्रकार की वैधानिक त्रुटि नही है। क्योकि रेस्पो. वाके ग्राम दौंदरी तहसील सवाईमाधोपुर के मूल निवासी होने के साथ ही ग्राम दौंदरी मे स्थित कृषि भूमि ख0न0 963/2467 रकबा 0.06 है0 के खातेदार काश्तकार है तथा अपीलान्टगण द्वारा उक्त आराजीयात पर बिना किसी कानूनी अधिकार के जबरन अतिक्रमण कर विवादित भूमि पर कच्चा घर बना रखा है। जिसके संबंध में प्रार्थीगण द्वारा पूर्व मे न्यायालय उपजिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के न्यायालय में राजस्व दावा संख्या 12/14 उनवानी मंगली बनाम रामफूल वगै. प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 30.7.2015 को डिक्री होने एवं डिक्री की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा मौके की रिपोर्ट तलब की जाने पर पटवारी रिपोर्ट में अपीलान्ट द्वारा विवादित भूमि पर अतिक्रमण करना दर्शित किया गया है। जिसपर हम रेस्पो. द्वारा तहसीलदार सवाईमाधोपुर के समक्ष हमारी खातेदारी भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल कर कब्जा हम रेस्पो. को सम्भलाये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सवाईमाधोपुर द्वारा आदेश जैर अपील पारित कर अपीलान्ट को विवादित भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. के पति की फर्जी अंगूॅठा निशानी लगाकर स्वंय अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि का सादा कागज पर विक्रयनामा दिनांक 15.4.1997 को तैयार किया गया है जो फर्जी एवं कानून मान्य नही होने के कारण दिनांक 20.2.2017 को थाना मानटाउन पर एफ.आर संख्या 88/17 दर्ज करवायी गयी है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट को आदेश जैर अपील की जानकारी निर्णय दिनांक 19.7.2018 से ही थी जिसकी अपील 9.1.2019 को प्रस्तुत की गयी है जो मयाद बाहर है तथा विलम्ब का उचित कारण भी अपील मे नही दर्शाया गया है। अतः अपील अपीलान्ट मयाद बाहर होने से भी खारिज किये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि रेस्पो. विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पो. की ओर से प्रस्तुत 183 बी का प्रकरण स्वीकार कर अपीलान्ट को विवादित भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किया गया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज कर आदेश जैर अपील यथावत रखने बाबत वकील रेस्पो0 द्वारा कथन किया।

डॉ० एस. पी. सिंह
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

वकील उभय पक्षों द्वारा किये गये कथन को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त यह निष्कर्ष पर पहुॅचता हूॅ कि वकील अपीलान्ट के अनुसार विवादित आराजीयात ख0न0 963/2467 रकबा 0.06 है0 वाके ग्राम दौंदरी को अपीलान्ट द्वारा रेस्पो. संख्या एक के पति से दिनांक 15.4.1997 को 12500/–रू मे क्रय किया था तथा दिनांक 15.4.1997 से ही उक्त विवादित भूमि पर काबिज काश्त है अपने कथन के समर्थन में सादा कागज पर दिनांक 15.4.1997 को की गयी लिखावट की प्रति प्रस्तुत की गयी है। वकील रेस्पो. के अनुसार उक्त भूमि रेस्पो. संख्या एक के पति द्वारा अपीलान्ट को कभी भी विक्रय नही की गयी थी स्वंय अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि को हडपने की गरज से फर्जी तरीके से सादा कागज पर दिनांक 15.4.1997 को विक्रयनामा तहरीर कर रेस्पो. संख्या एक के पति की फर्जी अंगूॅठा निशानी बनायी गयी है जिसकी एफ.आई.आर संख्या 88/17 थाना मानटाउन मे दर्ज है। रेस्पो. वर्तमान भी उक्त विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है किन्तु अपीलान्ट उक्त फर्जी विक्रयनामा जो कि कानून मान्य नही है की आड मे उक्त भूमि को हडपना चाहते है। वकील रेस्पो. द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो से यह स्पष्ट होता है कि वकील अपीलान्ट द्वारा जो विक्रयनामा दिनांक 15.4.1997 का जिक्र किया गया है वह रजिस्टर्ड नही होने के कारण विधि मान्य नही है। अतः अपीलान्ट उक्त विक्रयनामा के आधार पर विवादित भूमि को अपने नाम नही करवा सकता है। चूंकि रेस्पो.विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है तथा मौका रिपोर्ट 30.9.2016 के अनुसार अपीलान्ट द्वारा उक्त विवादित भूमि पर कब्जा कर रखा है। इसलिए विवादित भूमि पर से अपीलान्ट को बेदखल करवाने का अधिकार रेस्पो. को होने कारण ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील से अपीलान्ट को विवादित भूमि पर से बेदखल करने के आदेश पारित किये गये है जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नही है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर आदेश जैर अपील यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 3.7.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0एस0पी0सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Satya Pal Singh
Date: 2019.12.03 17:26:19 IST
Reason: SelfAttested
Location: